

कार्यालय नजारत जनपद न्यायालय देवरिया

निष्प्रयोज्य न्यायिक आवास सं० जे० ३, निकट पुलिस अधीक्षक, देवरिया आवास के स्थान पर प्रस्तावित ट्रांजिट हास्टल के निर्माण स्थल पर स्थित ०३ नग सेमर, ०२ नग जामुन, ०१ नीम एवं ०१ नग अशोक के वृक्षों की नीलामी दिनांक २७.०४.२०१६ को सायं ४:०० बजे दस कक्षीय भवन जनपद न्यायालय देवरिया के सभागार कक्ष में नीलामी समिति के समक्ष होगी। इच्छुक फर्म/ठेकेदार दिनांक २३.०४.२०१६ से २६.०४.२०१६ के बीच किसी भी कार्यदिवस में प्रातः ११.०० बजे से अपराह्न ३:०० बजे तक उक्त वृक्षों का निरीक्षण स्थल पर जाकर कर सकते हैं।

नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं:-

- १- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक फर्म/ठेकेदार को अपना फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- २- नीलामी में भाग लेने के पूर्व उक्त स्थल के वृक्षों का भली भाँति निरीक्षण कर लें।
- ३- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक फर्म/ठेकेदार को नीलामी के पूर्व रू० ५०००/- (रूपये पांच हजार मात्र) की धनराशि जमानत के रूप में कार्यालय नजारत जनपद न्यायालय देवरिया में जमा करना होगा।
- ४- नीलामी केवल वृक्षों की होगी। भूमि पर पूर्ण अधिकार न्याय विभाग का होगा।
- ५- सभी फर्म/ठेकेदार को सभी नियम एवं शर्तों के पालन का घोषणा पत्र देना होगा।
- ६- यदि वृक्षों को काटते समय कोई पुरातत्व महत्व की अथवा खजाना/दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो इसकी सूचना तत्काल विभाग एवं पुलिस को देना होगा तथा ऐसी स्थिति में समस्त सम्पत्तियों पर अधिकार न्याय/सरकार का होगा।
- ७- वृक्षों को काटने का कार्य प्रातः १०:०० बजे से सायं ५:०० बजे तक ही किया जा सकेगा, तथा पातन के पूर्व अनुज्ञा प्रमाण पत्र जिला वन अधिकारी देवरिया से लेना अनिवार्य होगा।
- ८- वृक्षों को काटते समय कोई श्रमिक, कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियों की दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म/ठेकेदार की होगी।
- ९- किसी भी उच्चतम बोली बोलने वाले को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, देवरिया के पास सुरक्षित होगा।
- १०- नीलामी की अंतिम बोली का निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश देवरिया के द्वारा तय किया जायेगा।
- ११- नीलामी सम्पन्न होने तथा मान्य होने पर नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त तत्काल कार्यालय नजारत जनपद न्यायालय देवरिया में जमा करनी होगी।
- १२- अन्य कोई भी शर्त जो समिति के द्वारा धोषित की जायेगी उसे मानना सभी के लिये बाधकारी होगा।

दिनांक/देवरिया।

अप्रैल २, २०१६.

(राजीव भारती),

अपर जनपद न्यायाधीश ४,
अध्यक्ष-नीलामी समिति, देवरिया।

प्रतिलिपि प्रचार प्रसार हेतु निम्नलिखित सूचना पट्ट पर लगायी जाये:-

- १- जनपद न्यायालय देवरिया के सूचना पट्ट पर।
- २- कलेक्ट्री कचहरी देवरिया के सूचना पट्ट पर।
- ३- नगर पालिका परिषद, देवरिया के सूचना पट्ट पर।
- ४- जिला परिषद देवरिया के सूचना पट्ट पर।
- ५- जनपद न्यायाधीश देवरिया को सूचनार्थ प्रेषित।
- ६- स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।
- ७- जिलाधिकारी को सूचनार्थ।
- ✓ ८- कम्प्यूटर कक्ष/सिस्टम आफिसर, जनपद न्यायालय देवरिया को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय देवरिया के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक/देवरिया।

अप्रैल २, २०१६.

(राजीव भारती),

अपर जनपद न्यायाधीश ४,
अध्यक्ष-नीलामी समिति, देवरिया।